

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/248 ✓

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम नारायणपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 19 में गोपाललाल, पीरुलाल पि कन्हैयालाल के बजाय गोपाल पीरुलाल कि कन्हैयालाल

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-

प्रार्थी
गोपाल (पीरुलाल)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम नारायणपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2076 के खाता संख्या 19 में प्रार्थी का नाम गोपाल पीरुलाल पि कन्हैयालाल दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न 2072 व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम गोपाल पीरुलाल पि कन्हैयालाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअनि

5/12/22
5/12/22

पटवारी

12/03/2022
पुर्वीकर तनाद

द्वारा व. अ. अ. अधीन

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमती शशि कुमारी शिवाजी

प्रार्थी द्वारा राजभूराज 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अ. अ. अधीन भूअनि 5/12/22 एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम नारायणपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2076 की खाता संख्या 19 में प्रार्थी का नाम गोपाल पीरुलाल पि कन्हैयालाल के बजाय गोपाल पीरुलाल कि कन्हैयालाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शशि कुमारी शिवाजी

आदेश

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम नारायणपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2072-76 खाता संख्या 19 में दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल पीरुलाल पि कन्हैयालाल के स्थान पर गोपाल पीरुलाल कि कन्हैयालाल संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

19/1/22
17/6/22

8
उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)